संख्या:-1095/69-1-97-54 (बजट)/97

प्रेषक,

श्रीमती हेमलता ढौंडियाल,
संयुक्त सचिव,
उ.प्र. शासन।

सेवा में,

सचिव,
राज्य नागर विकास अभिकरण,
उ.प्र., लखनऊ।

लखनऊः दिनांक, 26 जून,1997

नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम अनुभाग,

विषय : **केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित अर्बन बेसिक सर्विसेज फार दी पुअर (यू.बी.एस.पी.) योजना के कार्यान्वयन हेतु राज्य नागर विकास अभिकरण को राज्यांश हेतु अनुदान की स्वीकृति।**

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राज्यपाल महोदय अर्बन बेसिक सर्विसेज फार दी पुअर हेतु चालू वित्तीय वर्ष 1997-98 के लेखानुदान की 6 मास की अवधि हेतु बजट में प्राविधानित धनराशि के अन्तर्गत वर्ष 1996-97 के देय राज्यांश के रूप में योजना के कार्यान्चयन के लिए रू.47,95,000-00 रुपये (सैतालिस लाख पंचान्नवे हजार मात्र) का अनुदान राज्य नागर विकास अभिकरण, उ.प्र. को निम्नांकित विवरणानुसार अवमुक्त किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

(धनराशि लाख रू. में)

| क्र.सं. | योजना का नाम | सामान्य | एस.सी.पी. | योग |
|---|---|---|---|---|
| 1. | यू.बी.एस.पी. (1996-97 का राज्यांश) | 5.50 | 42.45 | 47.95 |

2. उक्त स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों के अधीन होगी:-

(1) यह कि उक्त धनराशि शहरी विकास मंत्रालय, भारत सरकार के दिशा निर्देशों के अनुरूप निर्धारित शर्तों के अनुसार योजना पर व्यय की जायेगी तथा स्वीकृत धन का उपयोग किसी भी दशा में अन्य कार्य योजनो हेतु नहीं किया जाय।

(2) उक्त स्वीकृत धनराशि का कोषागार से आहरण चालू वित्तीय वर्ष 1997-98 में 30 सितम्बर, 1997 तक अवश्य कर लिया जाय। स्वीकृत की गयी धनराशि का आहरण सचिव, शहरी रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम विभाग, उ.प्र. शासन

के प्रतिहस्ताक्षरोपरान्त निदेशक, राज्य नागर विकास अभिकरण, उ.प्र. लखनऊ द्वारा देयकप्रपत्र तैयार कराकर किया जायेगा। स्वीकृत धनराशि वित्त (लेख) अनु-1 के कार्यालय ज्ञाप सं.-एक-1-120/दस-79-60-78 (वि.स. सा.) अनु-1 दिनांक 7.3.1979 के अनुसार राज्य नागर विकास अभिकरण उ.प्र., लखनऊ के सचिव के पद नाम से खुले पी.एल.ए. में जमा की जायेगी और संबन्धित जिला अधिकारियों/अध्यक्ष, जिला नगरीय विकास अभिकरण को आवश्यकतानुसार वित्त विभाग की पूर्व अनुमति से पी.एल.ए. से निकालकर यथा समय उपलब्ध कराई जायेगी, एवं उसकी प्रतिलिपि प्रशासकीय विभाग एवं वित्त विभाग को पृष्ठांकित की जायेगी।

(3) प्रत्येक आहरण की सूचना उपमहालेखाकार (राजकोष) महालेखाकार (लेख) उ.प्र. इलाहाबाद को आदेश की प्रति के साथ कोषागार का नाम, बाउचर संख्या, तिथि तथा लेखा शीर्षक की सूचना एक माह के भीतर अवश्य भेज दी जाय।

(4) इस धनराशि का उपयोग शासनादेश निर्गत किये जाने की तिथि से एक वर्ष की अवधि के भीतर अवश्य कर लिया जाय तथा उपयोगिता प्रमाण पत्र शासन तथा महालेखाकार को अवश्य उपलब्ध कराया जाय। निर्धारित अवधि के बाद अनुपयोगित/दुरुपयोगित धनराशि यदि कोई हो, एक मुश्त शासन को वापस करनी होगी।

(5) निदेशक, राज्य नागर विकास अभिकरण, उ.प्र. लखनऊ द्वारा योजना की त्रैमासिक प्रगति रिपोर्ट शासन को नियमित रूप से प्रस्तुत करनी होगी।

(6) सचिव, राज्य नागर विकास अभिकरण, उ.प्र. लखनऊ आहरण की प्रत्येक वर्ष गांठ पर अपने लेखों का मिलान महालेखाकार के कार्यालय के लेखों से अवश्य करें।

(7) उपरोक्त पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 1997-98 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-37 नगर विकास विभाग के अन्तर्गत निम्नलिखित लेखा शीर्षक के नाम डाला जायेगा:-

"2217-शहरी विकास आयोजनागत-80
'सामान्य-191-स्थानीय निकायों/निगमों/
नगर विकास प्राधिकरणों नगर सुधार बोर्डों आदि
को सहायता-01-केन्द्रीय आयोजनागत/
केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनाएं-0101-अर्बन
बेसिक सर्विसेज फार दि पुअर योजना हेतु राज्य
नागर विकास अभिकरण को अनुदान-20-सहायक
अनुदान/अंशदान/राज सहायता

रू. 5,50,000

-0102-अनुसूचित जाति के लिए स्पेशल कम्पोनेंट
प्लान अर्बन बेसिक सर्विसेज फार दि पुअर योजना
हेतु राज्य नागर विकास अभिकरण को अनुदान

-20-सहायक अनुदान-अंशदान/राज सहायता रू. 42,45000

योग रू. **47,95000**

(रुपये सैतालिस लाख पच्चानब्बे हजार मात्र)

यह आदेश वित्त विभाग के अशा. संख्या-ई-6-1293/दस/97-दस-97, दिनांक 26-5-97 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

**(हेमलता ढौंडियाल)**
संयुक्त सचिव।

संख्याः **1095 (1)/69-1-97-54** (बजट)/**97**, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

(1) महालेखाकार, उ.प्र. इलाहाबाद (रजि.)
(2) समस्त मण्डलायुक्त, उ.प्र.।
(3) समस्त जिलाधिकारी (यू.बी.एस.पी. से सम्बन्धित जनपद) उत्तर प्रदेश।
(4) कोषाधिकारी, जवाहर भवन, कोषागार, लखनऊ।
(5) समस्त नागर विकास अभिकरण, मण्डलायुक्त कार्यालय उ.प्र.।
(6) वित्त संसाधन (केन्द्रीय सहायता) अनु-1
(7) वित्त (व्यय नियंत्रण) अनु-6
(8) निदेशक (यू.पी.ए.) शहरी विकास मंत्रालय, भारत सरकार निर्माण भवन, नई दिल्ली।
(9) निदेशक, स्थानीय निधि लेखा, उ.प्र. इलाहाबाद।
(10) नियोजन अनु-4/वित्त (बजट) अनु-2
(11) वित्त नियंत्रक, राज्य नागर विकास अभिकरण, उ.प्र. लखनऊ।

आज्ञा से,

**(हेमलता ढौंडियाल)**
संयुक्त सचिव।